संख्या-सा-3-[illegible]

प्रेषक,

श्री नृपेन्द्र मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 28 जून, 1996

विषय:- राजकीय पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को पहचान-पत्र निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उनकी सुविधा के लिये निःशुल्क पहचान-पत्र निर्गत करने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। पहचान-पत्र पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने, राजकीय चिकित्सालयों से चिकित्सा सुविधा एवं अन्य प्रयोजनों के लिए उनकी पहचान-हेतु मान्य होगा। पहचान-पत्र निर्गत किये जाने हेतु नियम तथा प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

(1) पहचान-पत्र संबंधित कोषाधिकारियों द्वारा निर्गत किये जायेंगे जहाँ से पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

(2) क- निदेशक, पेंशन पहचान-पत्र मुद्रित कराके दिनांक 30 जून, 1996 तक समस्त कोषागारों को उपलब्ध करा देंगे।

ख- यह पहचान-पत्र क्रमांकित होगें। पेंशन निदेशक इन्हें क्रमांक के अनुसार ही समस्त कोषागारों को वितरित करेंगे तथा उसका लेखा-जोखा रखेंगे।

——2/

ग— समस्त कोषाधिकारी पहचान-पत्र को पेंशनरों क्रमांक के आधार पर ही जारी करेंगे तथा अपने में उसका लेखा-जोखा रखेंगे। इस हेतु कोषाधिकारी सभी पेंशनरों के नाम वर्णमाला क्रम में एक रजिस्टर में अंकित करेंगे तथा उसमें क्रमांक, पेंशनर का नाम, पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि, पहचान-पत्र जारी करने की तिथि, पहचान-पत्र का क्रमांक एवं पेंशनर के हस्ताक्षर का उल्लेख भी करेंगे। पेंशनर यदि चाहें तो इस पहचान-पत्र पर प्लास्टिक कवर स्वयं चढ़ा सकते हैं।

§3§ पहचान-पत्र पर पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर का पासपोर्ट साइज का श्वेत श्याम फोटो लगाया जाएगा जिसे संबंधित पेंशनर द्वारा स्वयं कोषाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना होगा। पेंशनरों को सुविधा के लिए कोषाधिकारी पूर्व प्रचारित तिथियों के अनुसार कोषागार परिसर में फोटोग्राफर की व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं, जो उचित मूल्य पर पेंशनर का फोटो खींचकर उपलब्ध करा सकें। इस हेतु फोटोग्राफी की दरें कोषाधिकारी स्थानीय फोटोग्राफरों से बात § Negotiate § करके निर्धारित की जायेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि कोषागार परिसर में फोटो खिंचवाने की बाध्यता नहीं है एवं फोटोग्राफी पर कोई शासकीय व्यय नहीं होना है। पेंशनर यदि चाहें तो कहीं से भी अपनी सुविधा अनुसार संयुक्त फोटोग्राफ खिंचवा करके कोषाधिकारी को उपलब्ध करा सकते हैं। कोषाधिकारी फोटोग्राफ को संबंधित पेंशनर के पी०पी०ओ० पर लगे फोटो से मिलान करके प्रमाणित करेंगे।

§4§ फोटोग्राफ जमा करने एवं उसके उपरान्त पहचान-पत्र निर्गत करने के कार्यक्रम एवं अन्य संबंधित सूचना कोषागार के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी।

§5§ पहचान-पत्र के प्रारूप को भरने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

क— पृष्ठ-2 पर सेवानिवृत्ति अथवा दिवंगत राजकीय सेवक का नाम अंकित किया जायेगा।

———3/

ख- सेवानिवृत्त अथवा मृत्यु के पूर्व धारित पद का नाम, अन्तिम आहरित वेतन, स्थायी पता, यदि अस्थायी पता हो तो उसका भी उल्लेख किया जायेगा। संलुक्त फोटोग्राफ को स्कैनकर प्राधिकार-पत्र में लगे फोटो से मिलान कर कोषाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। सेवानिवृत्त अथवा मृत्यु की तिथि, पेंशन प्राधिकार-पत्र संख्या एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि, पेंशन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का स्पष्ट नाम, कोषागार का नाम अंकित किया जायेगा, जहाँ से पहचान-पत्र निर्गत किया जा रहा है।

ग- पृष्ठ-3 पर राजकीय सेवक के परिवार के सदस्यों के नाम, जो परिवार की परिभाषा में आते हों, और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हों, अंकित किये जायेंगे।

6। पहचान-पत्र खो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर दूसरा पहचान-पत्र प्राप्त करने के लिए पेंशनर/पारिवारिकपेंशनर को पुलिस स्टेशन में एफ०आई०आर० दर्ज करानी होगी तथा उसकी प्रति संबंधित कोषागार में प्रस्तुत करने के साथ रुपया-25·00 का शुल्क भी जमा करना होगा।

अनुरोध है कि आप कृपया अपने कोषागार से सम्बद्ध सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पहचान-पत्र देने में व्यक्तिगत रुचि लेकर प्राथमिकता पर कार्यवाही सम्पन्न कराने का कष्ट करें तथा इस दिशा में कोषागार द्वारा सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। पहचान-पत्र वितरण से संबंधित सभी प्रक्रिया प्रत्येक दशा में दिनांक 25 अगस्त, 1996 तक पूर्ण कर ली जायगी। दिनांक 01 सितम्बर, 1996 से पेंशन का भुगतान पी०पी०ओ० के साथ पहचान-पत्र लाने पर ही किया जायेगा।

भवदीय,

(नरेन्द्र मिश्र)
प्रमुख सचिव।

——4/

संख्या-सा-3- 1691(1)/दस-96-901/96, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

20/12/

(नृपेन्द्र मिश्र)
प्रमुख सचिव।